बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय
द्वितीय तल, विकास भवन, बेली रोड, पटना

सं0 सं0– SIPB/BIPP-2011/ED/01/2018–881 दिनांक–12 फरवरी, 2019

प्रेषकः **पंकज कुमार सिंह**
उद्योग निदेशक –सह– सदस्य सचिव,
राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद, बिहार, पटना।

सेवा में,
अधीक्षण अभियंता (उच्च विभव),
नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्युशन कंपनी लि0,
(राजस्व विभाग)
विद्युत भवन, बेली रोड,पटना–800021

विषय– **औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 के अतर्गत AMG/MMG/ Electric Duty प्रतिपूर्त्ति हेतु अनुदान के राशि की निकासी एवं भुगतान की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक 3923 दिनांक 12.11.18 के आपके पत्रांक– 22529 दिनांक 03.12.2018 के संबंध में सूचित करना है कि औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 के अंतर्गत किसी भी ईकाई को वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि से AMG/MMG में 5 वर्षों के लिए तथा ED में 7 वर्षों के लिए छूट अनुमान्य है।

यदि कोई ईकाई पूर्व में किसी विषम परिस्थितिजन्य कारण से बंद थी और वर्त्तमान में चालू है तो विद्युत कंपनी द्वारा बकाए विपत्र की वसूली करने के बाद ही विद्युत संबंध को चालू किया होगा, इस प्रकार ईकाई के द्वारा विद्युत शुल्क का भुगतान कर दिया गया होता है। चूँकि विद्युत अनुदान एक निश्चित अवधि के लिए ही देय है, अतएव वैसी स्थिति में ईकाई के हित को ध्यान में रखते हुए तथा उसे रूग्नता से बचाने के लिए निर्धारित अवधि 5 वर्षों / 7 वर्षों के अंदर खंडित अवधि के लिए भी विद्युत अनुदान Reconnection Charge एवं Fine को छोड़कर स्वीकृत किया जाय।

विश्वासभाजन,

881
12.2.19

(पंकज कुमार सिंह)
उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

प्रतिलिपिः अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार पावर डिस्ट्रीब्युशन कंपनी लि0, पटना / प्रबंध निदेशक नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्युशन कंपनी लि0, प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्युशन कंपनी लि0, विद्युत भवन, बेली रोड,पटना–800021 को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित्।

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 881 दिनांक 12/02/19

प्रतिलिपि :–आई0 टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग को प्रोषित। निदेश दिया जाता है कि इस पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सूनिश्चित की जाय।

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना

Jai Kishore SO-2